तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **मोहम्मद असलम् बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 16/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-02-2022	अपीलार्थी मोहम्मद असलम, पता सिलावटों का बास़ पीपाड़ सीटी तहसील पीपाड़ सीटी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.11.2021 में उसके द्वारा (1) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के एर्कोडिंग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कोविड 19 से मृत्यु होने वाले मरीज की परिजनों को जो अनुदान मिलती है उसके लिए क्या कोविड पोजीटिव रिपोर्ट आवश्यक है व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 145 दिनांक 07.02.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मोहम्मद को इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र संख्या 41 दिनांक 06.01.22 द्वारा कुल 17 पृष्ठ की बिन्दुवार सूचना निशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र के जरिये लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:14:13 IST
Reason: SelfAttested